मध्य प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल, चीनी, खाद्य तेल का कोटा बढ़ाने की मांग

3062. श्री राघवजी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जा रहे मिट्टी के तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने राज्य सरकार की मांग पर क्या निर्णय लिया है; और

(घ) क्या सरकार राज्य में आदिवासियों की भारी जनसंख्या को देखते हुए उपर्युक्त मदों का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का अतिरिक्त आवंटन करने हेतु अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय सरकार केंद्रीय पूल में उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं और मौसमजन्य बातों जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है । अतिरिक्त आवंटन हेतु ऐसे अनुरोधों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का मासिक आवंटन किए जाने से पहले विचार किया जाता है । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल का वार्षिक आवंटन निम्नवत रहा है :—

1992.	3,81,547 मी. टन
1993.	3,99,432 मी. टन
1994.	4 41,969 मी. टन

मध्य प्रदेश को सुपीरियर मिट्टी के तेल के आवंटन में प्रतिशत वृद्धि इन वर्षों के दौरान सुपीरियर मिट्टी के तेल के कुल आवंटन में समग्र प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक रही है ।

चीनी की उपलब्धता में विभिन्न बाधाओं के कारण किसी भी राज्य को लेवी चीनी के आवंटन में वृद्धि नहीं की गई है ।

गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल की कोई मांग नहीं की गई है ।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोककारी कोयले का उत्पादन

3063. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार तथा सहायक कंपनी वार कोककारी कोयले (कोकिंग कोल) का कितना-कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) क्या कोल इंडिया लि० ने कोककारी कोयले (कोकिंग कोल) का स्तर सुधारने हेतु कोई उपाय किए हैं जैसा कि इस्पात और अन्य उद्योगों द्वारा अपेक्षित है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को०इं०लि०) में कच्चे कोकिंग कोयले का वर्ष-वार सहायक कंपनीवार उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(मिलियन टन में)

कंपनी	1992-93	1993-94	94-95 (अनंतिम)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	0.63	0.61	0.52
भारत कोकिंग कोल लि0	22.81	23.32	23.20
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	16.61	15.57	15.08
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	0.71	0.76	0.80
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	0.11	0.12	0.11
कोल इंडिया लि0	40.87	40.38	39.71

(ख) जी हां । कोकिंग कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) कोकिंग कोयला इस्पात संयंत्रों को प्रेषण से पूर्व परिष्कृत किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाले सीधे फीड कोयले को छोड़कर ।

(ii) साफ कोयले की गुणवत्ता तथा उसकी अधिप्राप्ति में सुधार लाए जाने के लिए विद्यमान धारियों को संशोधित किया जा रहा है ।

Coal mines affected by fire

3064. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to State:

(a) the total surface and ground area of Coal mines in the country affected by fire as on date;

(b) the daily quantum of loss of coal due to fire;

(c) the value of daily loss as per the present price of coal;

(d) the areas being affected and the speed with which fire is spreading;

(c) the total quantum of coal trapped due to fire as on date; and

(f) the value thereof as per the present market price?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The main problem of fires exist in Jharia Coalfield of Bihar under Bharat Coking Coal Limited (BCCL) where an area of approximately 17 sq. kms. has been affected by these fires.

(b) to (d) No precise estimate is available.

(e) According to an estimate made by Coal India Limited about 1853 million tonnes of coal reserves is trapped due to coalfield fires which cannot be mined

(f) Taking a recovery factor of about 35 per cent, the notional value of recoverable coal out of the reserves trapped due to fires works out to Rs. 17,500 crores at the prevailing sale price.